

FROM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत... सिद्धांत डलकर एवऽ. 0 मुकाम... वायड

..... इरचलाम बनाम वा. डाराम वगैरा .....

किस्म मुकदमा... रा. प्रॉ. 111, 120 R.R.A.C. नं. 85/10 सन् 2010 .....

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---------------------------------|---|
|-------------|---------------------------------|---|

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 28/02/18 | <p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गौड़</u>.....</p> <p>ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 120 R.R.A.C.</u>.....</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू रोजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>04/04/18</u> को पेश हो।</p> |  |
|----------|---|--|

04/04/18

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण वाक्युद्ध तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एडप्रीय कहल सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने प्यारेलारी प्येलों के चाले मार परके नैथम स्थापित कराने का इच्छा है इसलिए प्रार्थी का नैथमवनी आवेदन स्वीकार किया जाइए नैथमवनी माँश किया जावे।

मतः प्रार्थी का नैथमवनी आवेदन स्वीकार किया जाइए तहसीलार वायड को इमिडानर विद्युक्त किया जाला है ए माँश किया जाला है कि प्राय त्वम या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-सम्पत्तिय निरिस्तु के प्रार्थी के प्यारेलारी प्येलों की परकी नैथमवनी माँश पर शुद्ध जमाइराइए हटे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली तामिल शुद्ध हो, दर्ज नम्बर से इस हो दाखिल इच्छा है।

113  
12/3/18

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2018 / 484

दिनांक :- 04.04.2018

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थी गण

1. हरचन्द्रराम पुत्र निम्बाराम  
जाति जाट निवासी गंगावास  
कोसरिया  
तहसील बायतु

1. बाकाराम पुत्र तोगाराम 6 जाति जाट  
निवासी गंगावास कोसरिया  
तहसील बायतु

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राजस्थान भू रा अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 85/18

आदेश

मौजा गंगावास पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नं. 548/4 रकबा 9.09 बीघा की भूमि के चारों तरफ नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमिश्नर को नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्त भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखम बन्दी मौके पर शुल्क जमा कर करे तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक :- 04.04.2018

क्रमांक / वाद / 2018 / 485 to 489

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्री हरचंद्रराम वगैरा
4. विप्रार्थी श्री बाकाराम वगैरा
5. थानाधिकारी पुलिस थाना बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)